संख्या : 173 /IV(2)–श0वि0–10–01(एडीबी)/09

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 16 फरवरी, 2010

विषयः वाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से **Loan No. 2410-IND** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 53(1)PFI/2009-427 दिनांक 30–11–2009 द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक की परियोजनाओं हेतु Loan No. 2410-IND के अन्तर्गत रू0 340.74 लाख अवमुक्त किये गये है। तत्क्रम में कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून के पत्र दिनांक 23–12–2009 तथा 19–1–2010 के प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि **रू0 340.74 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)** के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **रू0 340.74 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त धनराशि अनुदान संख्या–13, अनुदान संख्या–30 (अनुसूचित जाति उपयोजना) तथा अनुदान संख्या–31 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है, अतएव समाज कल्याण विभाग हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लाभार्थियों के सम्बन्ध में पृथक से मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।**
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
6. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट/ऋण अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
8. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे तथा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
11. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो इसे शासन को अवगत कराकर उक्त तिथि को राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत दिनांक 31–3–2010 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या 13** के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–42–अन्य व्यय' की मद के नामे **रू0 269.19 लाख**, **अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–42–अन्य व्यय' की मद के नामे **रू0 61.33 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–42–अन्य व्यय' की मद के नामे **रू0 10.22 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 998/XXVII(2)/2010 दिनांक 05 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या :/73(1)/IV(2)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक (पीएफ–I), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्र संख्या 53(1)PFI/2008-596 दिनांक 30–11–2009 के क्रम में।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।